

①

DR. RANJEET KUMAR
Deptt. of History
H.D. Jain College, An.

Notes for - M.A. semi - III, CC-13, unit - 4

Topic - 1919 ई० का भारत सरकार अधिनियम (The Government of India Act of 1919.) :- 1919 ई० के अधिनियम की

पृष्ठभूमि - 1909 ई० के अधिनियम से भारतीय राष्ट्रवादी किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं थे। वे अन्धी तरह समझ गए कि ब्रिटिश सरकार कुछ संवैधानिक अधिकार देकर उन्हें मुलावे में रखना चाहती है। उस समय मुसलमान लोग भी ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट थे। तुर्की के जल तो इंग्लैंड में आनुसारण नीति अपनाई। इसके भारतीय मुसलमान बहुत ही क्रुद्ध/क्रुद्ध थे। इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रवादी हम बात से भी प्रभावित हुए कि एशिया तथा अफ्रीका के कुछ राज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा था। भ्रमपि ब्रिटिश सरकार हिंदू एवं मुसलमानों के बीच वैगवह्य पैदा करने के लिए बराबर कोशिश करती थी, लेकिन मुसलमानों ने अंग्रेजी सरकार की कृतनीति को समझ लिया और राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर दोनों एक-दूतरे के निकट आए और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन करने लगे। इन लोगों का पारलमैण्टरी बोर्ड इतना अधिक बढ़ गया कि 1916 ई० में दोनों के बीच एकदम कात्त करने के उद्देश्य से समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा जाता है। दोनों सम्प्रदायों ने साम्प्रदायिक सुधारों की मांग की।

→

→ इसके अलावा ऐनी बेवेंट की लोकदल लीग भी राष्ट्रीय आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रही थी। फिर विदेशों में आंदर पार्टी काफी सक्रिय थी और अंतर्राष्ट्रीय लोकदल भारत के पक्ष में तैयार कर रही थी। एक बात और की कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड तथा उसके मित्रों की दिक्रति प्रथम दो-तीन वर्षों में बहुत अच्छी नहीं थी। इन सब कारणों से ब्रिटिश सरकार को भारत की राजनैतिक अवस्था के पुनर्विलोकन के लिए बाध्य किया गया।

माँटेग््यू की भारत यात्रा (10 Nov. 1917) -

भारत सचिव माँटेग््यू 10 Nov. 1917 को भारत आया, और भारत के संवैधानिक सुधार के संबंध में लॉर्ड-चेम्सफोर्ड, कांग्रेस, लीग के नेताओं तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ सविनय, विचार-विमर्श किया। इसी के आधार पर उसने माँटेग््यू-चेम्सफोर्ड घोषणा बनाई, जो 1919 ई. के अधिनियम में आधार बना।

1919 ई. के अधिनियम के उपबंध

- (i) उच्च सरकार में परिवर्तन
- (ii) हाई कमिश्नर के पद का सृजन
- (iii) केन्द्रीय सरकार में परिवर्तन
- (iv) केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद
- (v) केन्द्र का प्रांतीय सरकार पर निर्भरण सीमित
- (vi) केन्द्र में दो सदन
- (vii) केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली
- (viii) राज्य परिषद
- (ix) निर्वाचकों तथा सदन की सदस्यता के लिए बात सम्बंधी घोषणा
- (x) राज्य परिषद केन्द्रीय विधायिका के अधिकार, इत्यादि। उपर्युक्त पहलुओं पर दयात आकर्षित कर नियम बनाये गए। सुधार किर्सेगर-